



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

श्रम मंत्रालय भारत सरकार

**Employees' Provident Fund Organisation
(Ministry of Labour, Govt. Of India)**

भविष्य निधि भवन, 14-भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली .110066

Bhavishya Nidhi Bhawan, 14- Bhikaji Cama Place, New Delhi – 110066

www.epfindia.gov.in , www.epfindia.nic.in

No. Co-ord/3(6)2011/Amendment Scheme/

Date: 28.08.2014

To

All Additional CPFCs (Zones)
All Regional PF Commissioners
In-Charge of Regional/Sub Regional Offices

28 AUG 2014

Subject : Gazette Notification on enhancement of statutory wage ceiling to Rs. 15,000/-, minimum pension of Rs. 1,000/- per month and 20% additional relief on the amount of assurance benefit admissible under EDLI Scheme, 1976 - regarding.

Sir,

Instructions were issued vide Head Office letter dated 14.07.2014 (placed at Sl. No. 268 of the circular segment of the website), dated 23.07.2014 placed at Sl. No. 289 of the circular segment of the website) and dated 01.08.2014 (placed at Sl. No 311 of the circular segment of the website) wherein field offices were directed to start preparatory activities pending issue of notification on the above subject.

2. Now, the Government of India, Ministry of Labour & Employment issued notifications enhancing statutory wage ceiling from existing Rs. 6,500/- to Rs. 15,000/-, fixing minimum pension of Rs. 1000/- per month and 20% additional relief on the amount of assurance benefit admissible under EDLI Scheme, 1976 . The copies of the said notifications are enclosed herewith.

3. All the Additional CPFCs (Zones) and all Regional PF Commissioners, In-Charge of Regional / Sub-Regional Offices are requested to ensure implementation of the said notifications in letter and spirit.

Enclosure: As above

Yours faithfully,

(P. K. Udgata)

Additional Central P. F. Commissioner-I (Compliance)

Copy to:

1. Chief Vigilance Officer
2. FA & CAO
3. All Additional CPFCs, Head Quarters.
4. Director (NATRSS)
5. All Additional CPFCs Grade-I & Grade-II, Head Office.
6. Director (Audit)
7. Director (Official Language) for Hindi translation.
8. All Officers, Head Office
9. All RPFCs In-Charge of Zonal Training Institutes.
10. All Deputy Directors (Vigilance), Zones
11. All Deputy Directors (Audit)
12. RPFC (NDC) for web upload.
13. Web Administrator for web upload.
14. PS to CPFC for information.

(P. K. Udgata)

Additional Central P. F. Commissioner-I (Compliance)

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 442]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 22, 2014/श्रावण 31, 1936

No. 442]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 22, 2014/SRAVANA 31, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2014

सा.का.नि.608(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इस योजना को कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2014 कहा जाए।
(2) यह 01 सितम्बर, 2014 से प्रभावी होगी।
2. कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 में-
 - (क) पैराग्राफ 2 के खण्ड (च) के उप खण्ड (ii) में शब्द “छः हजार और पांच सौ रुपये” को शब्द “पन्द्रह हजार रुपये” से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ख) पैराग्राफ 26 के उप-पैरा (6) में शब्द “छः हजार और पांच सौ रुपये” को शब्द “पन्द्रह हजार रुपये” से प्रतिस्थापित किया जाएगा;
 - (ग) पैराग्राफ 26क के उप-पैरा (2) के परन्तुक में शब्द “छः हजार और पांच सौ रुपये” जहां कहीं आते हों उसे शब्द “पन्द्रह हजार रुपये” से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

[फा.सं. एम-35012/1/2012 एसएस-II]

अरुण कुमार सिन्हा, अपर सचिव

टिप्पणी: कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 दिनांक 2 सितम्बर, 1952 को संख्या सा.का.नि. 1509 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में प्रकाशित की गई थी और संगत पैरा-ग्राफों को बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किया गया था:-

- (1) सा.का.नि. 584, दिनांक 11 मई, 1959
- (2) सा.का.नि. 1522, दिनांक 16 दिसम्बर, 1960
- (3) सा.का.नि. 201, दिनांक 8 फरवरी, 1961
- (4) सा.का.नि. 689, दिनांक 19 अक्टूबर, 1990
- (5) सा.का.नि. 326(अ), दिनांक 4 मई, 2001

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2014

G.S.R. 608 (E).—In exercise of the powers conferred by section 5 read with Sub-section(1) of Section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme, further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Amendment) Scheme, 2014.
(2) It shall come into force on and from the 1st day of September, 2014.
2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952,-
(a) in paragraph 2, in clause (f), in sub-clause (ii), for the words "six thousand and five hundred rupees", the words "fifteen thousand rupees" shall be substituted;
(b) in paragraph 26, in sub-paragraph (6), for the words "six thousand and five hundred rupees", the words "fifteen thousand rupees" shall be substituted;
(c) in paragraph 26A, in sub-paragraph (2), in the proviso, for the words "six thousand and five hundred rupees", wherever they occur, the words "fifteen thousand rupees" shall be substituted.

[F. No. S-35012/1/2012-SS.II]

ARUN KUMAR SINHA, Addl. Secy.

Note:- The Employees' Provident Funds Scheme, 1952 was published in the Gazette of India, Part II, Section 3. Sub-section (i) dated the 2nd September, 1952 vide notification number S.R.O. 1509 and the relevant paragraphs were subsequently amended as follows:—

1. G.S.R. 584, dated the 11th May, 1959.
2. G.S.R. 1522, dated the 16th December, 1960.
3. G.S.R. 201, dated the 8th February, 1961.
4. G.S.R. 689, dated the 19th October, 1990.
5. G.S.R. 326 (E), dated the 4th May, 2001.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2014

सा.का.नि.609 (अ).—कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 6ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) यह योजना कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 कहलाएगी।

(2) यह 01 सितंबर, 2014 को तथा उसके बाद से प्रभावी होगी।

2. कर्मचारी पेंशन योजना, 1952 में (एतदुपरांत मूल योजना के रूप में संदर्भित) पैरा-3 के उप-पैरा 2 के परन्तुक में कहीं भी आने वाले शब्दों "छह हजार पांच सौ रुपये" के स्थान पर "पंद्रह हजार रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

3. मूल योजना के पैराग्राफ 6 के खण्ड (क) में प्रयुक्त शब्दों, अंकों एवं अक्षरों "अथवा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के 27-क" के पश्चात "और जिसका वेतन उस तिथि को पंद्रह हजार रुपये के बराबर अथवा कम हो" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

4. मूल योजना के पैरा 11 में -

(क) उप-पैरा (1) और उनके परन्तुक के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, नामतः:-

"(1) पेंशन योग्य वेतन वैसा औसत मासिक वेतन होगा जो पेंशन निधि की सदस्यता में निकामी की तारीख से साठ महीने पूर्व की अवधि में सेवा की अंशदायी अवधि के दौरान पीस रेट के आधार सहित किसी विधि में आहरित औसत मासिक वेतन होगा और पेंशन योग्य वेतन का निर्धारण 01 सितम्बर, 2014 तक की गई पेंशन योग्य सेवा के लिए समानुपातिक आधार पर किया जाएगा, जो कि अधिकतम छह हजार और पांच सौ रुपये प्रतिमाह तथा उसके बाद की अवधि के लिए अधिकतम पंद्रह हजार रुपये प्रतिमाह के अध्याधीन होगा:

वशर्ते कि कोई सदस्य पेंशन निधि की सदस्यता समाप्त होने की तिथि से साठ माह पूर्व की अवधि के दौरान पूरा वेतन नहीं पा रहा हो तो उस अवधि के दौरान जिसके लिए उससे पेंशन निधि में अंशदान पिछले साठ माह के पूरे वेतन के औसत की दर से वसूली गई थी, को उसके पेंशन की गणना के लिए पेंशन योग्य वेतन के रूप में माना जाएगा;

(ख) उप-पैरा (2) में जहां कहीं भी "12 माह" अंक और शब्द आए हों उनके लिए "साठ माह" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ग) उप-पैरा (3) में -

(i) अक्षर और अंक "छह हजार पांच सौ रुपये/6500 रुपये" के स्थान पर "पंद्रह हजार रुपये" प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) परन्तुक हटा दिया जाएगा।

(घ) उप-पैरा (3) के पश्चात, निम्नलिखित उप-पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः :-

"(4) 1 सितंबर, 2014 की स्थिति के अनुसार वर्तमान सदस्य जो नियोक्ता एवं कर्मचारी के विकल्प पर छह हजार पांच सौ रुपये प्रतिमाह से अधिक वेतन के आधार पर अंशदान दे रहे थे, वे नियोक्ता एवं कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से प्रयोग किए जाने वाले नए विकल्प के आधार पर पंद्रह हजार रुपये प्रतिमाह से अधिक वेतन पर अंशदान देना जारी रख सकते हैं:

वशर्ते कि उपर्युक्त सदस्य को, पंद्रह हजार रुपये से अधिक वेतन होने की स्थिति में इस अधिनियम के उपबंधों अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत प्रत्येक माह के लिए कर्मचारियों द्वारा देय अंशदान में से अतिरिक्त अंशदान के रूप में 1.16 प्रतिशत की दर से अंशदान देना होगा:

वशर्ते कि नए विकल्प का प्रयोग 1 सितंबर, 2014 से छह माह की अवधि के भीतर किया जाए:

वशर्ते यह भी कि क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त दूसरे परन्तुक में विनिर्दिष्ट अवधि का विस्तार छह माह से अनधिक अवधि तक करें यदि सदस्य द्वारा पर्याप्त कारण दर्शाया गया हो:

वशर्ते यह भी कि यदि उक्त अवधि (विस्तारित अवधि सहित), में कोई विकल्प नहीं चुना गया हो तो ऐसा माना जाएगा कि सदस्य ने वेतन की उच्चतम सीमा से अधिक अंशदान के विकल्प को नहीं चुना है तथा पेंशन निधि में उस सदस्य की वेतन सीमा से अधिक के लिए किए गए अंशदान को कर्मचारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत समय-समय पर यथा घोषित व्याज सहित सदस्य के भविष्य निधि खाते में अंतरित किया जाएगा।

5. मूल योजना के पैरा 12 के उप-पैरा (2) में निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किए जाएंगे नामतः:-
"बशर्ते कि उस सदस्य की मासिक पेंशन समानुपातिक आधार पर 1 सितंबर, 2014 तक पेंशन योग्य सेवा के लिए छह हजार पांच सौ रुपये प्रतिमाह के अधिकतम पेंशन योग्य वेतन पर और उसके बाद की अवधि के लिए पंद्रह हजार रुपये प्रतिमाह के अधिकतम वेतन पर निर्धारित की जाएगी।"
6. मूल योजना में पैरा 14 के लिए निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-
"14. सदस्य का मासिक पेंशन के लिए पात्र होने से पहले सेवा छोड़ने पर मिलने वाले लाभ- यदि कोई सदस्य जिसने सेवा छोड़ने की तिथि पर अथवा 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर, जो भी पहले हो, को पैरा 12 के उप-पैरा (1) में विनिर्दिष्ट पात्र सेवा न की हो, तो यह सदस्य तालिका 'घ' में यथा विहित निकासी लाभ प्राप्त करने का हकदार होगा अथवा वह उस तिथि को 58 वर्ष की आयु पूरी न करने के अद्यध्वन योजना का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का विकल्प ले सकता है:
बशर्ते कि ऐसे प्रत्याहरण लाभ की गणना के लिए सेवा छोड़ने के समय उमका वेतन प्रत्येक वेतन सीमा अवधि की समाप्ति पर उसके वेतन के भारित औसत के समान होगा:
परन्तु यह भी कि वर्तमान मध्यम, कर्मचारी परिवार पेंशन योजना, 1971 के अंतर्गत अपनी पिछली सेवा के लिए तालिका 'क' के अनुसार प्रत्याहरण सह-सेवा निवृत्ति लाभों के रूप में परिकल्पित तथा तालिका 'ख' में दिए गुरुक द्वारा द्विगुणित अंशदानों का अतिरिक्त प्रतिफल प्राप्त करेगा।"

[फा. सं. एस-35012/1/2012-एसएस-II]

अरुण कुमार मिन्हा, अपर सचिव

टिप्पणी:- मूल योजना को दिनांक 16 नवंबर, 1995 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 748(अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा पिछली बार इसे दिनांक 14 फरवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 80(अ.) द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2014

G.S.R. 609(E).— In exercise of powers conferred by section 6A read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Pension Scheme, 1995, namely:—

- (1) This Scheme may be called the Employees' Pension (Amendment) Scheme, 2014.
(2) It shall come into force on and from the 1st day of September, 2014.
- In the Employees' Pension Scheme, 1995, (hereinafter referred to as the principal Scheme), in paragraph 3, in sub-paragraph 2, in the proviso, for the words "rupees six thousand and five hundred", wherever they occur, the words "fifteen thousand rupees" shall be substituted.
- In the principal Scheme, in paragraph 6, in clause (a), after the words, figures and letter "or 27A of the Employees' Provident Funds Scheme, 1952", the words "and whose pay on such date is less than or equal to fifteen thousand rupees", shall be inserted.
- In the principal Scheme, in paragraph 11,-
(a) for sub-paragraph (1) and the proviso thereto, the following shall be substituted, namely:-
"(1) The pensionable salary shall be the average monthly pay drawn in any manner including on piece rate basis during contributory period of service in the span of sixty months preceding the date of exit from the membership of the Pension Fund and the pensionable salary shall be determined on pro-rata basis for the pensionable service up to the 1st day of September, 2014, subject to a maximum of six thousand and five hundred rupees per month and for the period thereafter at the maximum of fifteen thousand rupees per month:
Provided that if a member was not in receipt of full pay during the period of sixty months preceding the day he ceased to be the member of the Pension Fund, the average of previous sixty months full pay drawn by him during the period for which contribution to the pension fund was recovered, shall be taken into account as pensionable salary for calculating pension;

- (b) in sub-paragraph (2), for the figures and word "12 months", wherever they occur, the words "sixty months" shall be substituted;
- (c) in sub-paragraph (3),-
- (i) for the words, letters and figures "rupees six thousand and five hundred/Rs. 6500", the words "fifteen thousand rupees" shall be substituted;
- (ii) the proviso shall be omitted.

(d) after sub-paragraph (3), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

"(4) The existing members as on the 1st day of September, 2014, who at the option of the employer and employee, had been contributing on salary exceeding six thousand and five hundred rupees per month, may on a fresh option to be exercised jointly by the employer and employee continue to contribute on salary exceeding fifteen thousand rupees per month:

Provided that the aforesaid members have to contribute at the rate of 1.16 per cent on salary exceeding fifteen thousand rupees as an additional contribution from and out of the contributions payable by the employees for each month under the provisions of the Act or the rules made thereunder:

Provided further that the fresh option shall be exercised by the member within a period of six months from the 1st day of September, 2014:

Provided also that the period specified in the second proviso may, on sufficient cause being shown by the member, be extended by the Regional Provident Fund Commissioner for a further period not exceeding six months:

Provided also that if no option is exercised by the member within such period (including the extended period), it shall be deemed that the member has not opted for contribution over wage ceiling and the contributions to the Pension Fund made over the wage ceiling in respect of the member shall be diverted to the Provident Fund account of the member along with interest as declared under the Employees' Provident Fund Scheme from time to time.

5. In the principal Scheme in paragraph 12, in sub-paragraph (2), the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that the members' monthly pension shall be determined on a pro-rata basis for the pensionable service up to the 1st day of September, 2014 at the maximum pensionable salary of six thousand and five hundred rupees per month and for the period thereafter at the maximum pensionable salary of fifteen thousand rupees per month".

6. In the principal Scheme, for paragraph 14 the following paragraph shall be substituted, namely:-

"14. **Benefits on leaving service before being eligible for monthly member's pension.**- If a member has not rendered the eligible service specified in sub-paragraph (1) of paragraph 12 on the date of exit, or on attaining the 58 years of age, whichever is earlier, such member shall be entitled to a withdrawal benefit as laid down in Table 'D' or may opt to receive the Scheme certificate provided on the date he has not attained 58 years of age:

Provided that for calculating such withdrawal benefit, the wages at exit shall be the weighted average of his wages at the end of every wage ceiling period:

Provided further that an existing member shall receive additional return of contributions for his past service under the Employees' Family Pension Scheme, 1971, computed as withdrawal-cum-retirement benefits as per Table 'A' multiplied by the factor given in Table 'B'".

[F.No. S-35012/1/2012-SS-II]

ARUN KUMAR SINHA, Addl. Secy.

Note: The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 748 (E), dated the 16th November, 1995 and last amended vide notification number G.S.R. 80(E) dated the 14th February, 2013.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 अगस्त, 2014

सा.का.नि.610(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 6ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) यह योजना कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा (संशोधन) योजना, 2014 कहलाएगी।

3297 57/14-2

- (2) यह 1 सितंबर, 2014 से प्रभावी होगी।
2. कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा योजना, 1976 में (एतदुपरांत मुख्य योजना के रूप में संदर्भित) पैराग्राफ 7 में, उप पैराग्राफ (1) में "छह हजार पांच सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "पंद्रह हजार रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
3. मूल योजना में पैराग्राफ 22 में, उप-पैराग्राफ (3) में, -
 (क) खण्ड (i) में, "छह हजार पांच सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "पंद्रह हजार रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;
 (ख) स्पष्टीकरण में, "छह हजार पांच सौ रुपये" शब्दों के स्थान पर "पंद्रह हजार रुपये" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
4. मूल योजना में पैराग्राफ 22 में, उप-पैराग्राफ (3) के बाद, निम्नलिखित उप-पैराग्राफ अंतःस्थापित किया जाएगा, नामतः:-
 "(4) इस योजना के अंतर्गत लाभ, पैराग्राफ 22 (1), (2) अथवा (3), जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत अनुमत्य लाभों के अलावा और बीस प्रतिशत बढ़ा दिया जाएगा।"

[फा.सं. एम-35012/1/2012 एमएस-II]

अरुण कुमार सिन्हा, अपर सचिव

टिप्पणी: कर्मचारी निक्षेप-सहबद्ध बीमा योजना, 1976 दिनांक 28 जुलाई, 1976 संख्या सा.का.नि. 488(अ) द्वारा भारत के राजपत्र, अमाश्रयण, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (i) में प्रकाशित की गई थी और इसे बाद में निम्नानुसार संशोधित किया गया था:-

- (1) सा.का.नि. 1788, दिनांक 07.12.1976
- (2) सा.का.नि. 648, दिनांक 01.05.1977
- (3) सा.का.नि. 329, दिनांक 20.02.1978
- (4) सा.का.नि. 369, दिनांक 14.07.1978
- (5) सा.का.नि. 67, दिनांक 23.12.1978
- (6) सा.का.नि. 1013, दिनांक 12.09.1980
- (7) सा.का.नि. 548, दिनांक 03.10.1981
- (8) सा.का.नि. 828, दिनांक 14.08.1985
- (9) सा.का.नि. 873, दिनांक 29.08.1986
- (10) सा.का.नि. 228, दिनांक 02.03.1989
- (11) सा.का.नि. 354, दिनांक 22.05.1990
- (12) सा.का.नि. 30, दिनांक 28.12.1990
- (13) सा.का.नि. 321, दिनांक 16.08.1991
- (14) सा.का.नि. 420, दिनांक 31.08.1992
- (15) सा.का.नि. 176, दिनांक 07.03.1994
- (16) सा.का.नि. 334, दिनांक 29.08.1997
- (17) सा.का.नि. 238, दिनांक 13.06.2000
- (18) सा.का.नि. 523(अ), दिनांक 18.06.2010
- (19) सा.का.नि. 9(अ), दिनांक 08.01.2011
- (20) सा.का.नि. 83(अ), दिनांक 11.02.2011

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd August, 2014

G.S.R. 610 (E).—In exercise of the powers conferred by section 6C read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following scheme further to amend the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Deposit-Linked Insurance (Amendment) Scheme, 2014.
(2) It shall come into force on and from the 1st day of September, 2014.
2. In the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the principal Scheme), in paragraph 7, in sub-paragraph (1), for the words "six thousand five hundred rupees", the words "fifteen thousand rupees" shall be substituted.
3. In the principal Scheme, in paragraph 22, in sub-paragraph (3),-
 - (a) in clause (i), for the words "six thousand five hundred rupees", the words "fifteen thousand rupees" shall be substituted;
 - (b) in the Explanation, for the words "rupees six thousand five hundred", the words "fifteen thousand rupees" shall be substituted.
4. In the principal Scheme, in paragraph 22, after sub-paragraph (3), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-
 "(4) The benefit under this Scheme shall be further increased by twenty percent in addition to the benefits admissible under sub-paragraph (1), (2) or (3) of paragraph 22, as the case may be."

[F. No. S-35012/1/2012-SS.II]

ARUN KUMAR SINHA, Addl. Secy.

Note:- The Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i); vide number G.S.R. 488 (E), dated the 28th July, 1976 and subsequently amended as follows:-

- (1) GSR 1788, dated 07-12-1976
- (2) GSR 648, dated 01-05-1977
- (3) GSR 329, dated 20-02-1978
- (4) GSR 369, dated 14-07-1978
- (5) GSR 67, dated 23-12-1978
- (6) GSR 1013, dated 12-09-1980
- (7) GSR 548, dated 03-10-1981
- (8) GSR 828, dated 14-08-1985
- (9) GSR 873, dated 29-08-1986
- (10) GSR 228, dated 02-03-1989
- (11) GSR 354, dated 22-05-1990
- (12) GSR 30, dated 28-12-1990
- (13) GSR 321, dated 16-08-1991
- (14) GSR 420, dated 31-08-1992
- (15) GSR 176, dated 07-03-1994
- (16) GSR 334, dated 29-08-1997
- (17) GSR 238, dated 13-06-2000
- (18) GSR 523(E), dated 18-06-2010
- (19) GSR 9(E), dated 08-01-2011
- (20) GSR 83(E), dated 11-02-2011



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 429]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 19, 2014/श्रावण 28, 1936

No. 429]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 19, 2014/SHRAVANA 28, 1936

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 अगस्त, 2014

सा.का.नि.593(अ).—कर्मचारी भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 6क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित योजना बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) यह योजना कर्मचारी पेंशन योजना (द्वितीय संशोधन) योजना, 2014 कहलाएगी।

(2) यह 1 सितम्बर, 2014 से प्रभावी मानी जाएगी।

2. कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 (एतदुपरांत मुख्य योजना के रूप में संदर्भित) में पैराग्राफ 12 में उप पैराग्राफ (7) के उपरांत, निम्नलिखित उप पैराग्राफ अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(7क) इस पैराग्राफ के अंतर्गत किसी विद्यमान अधिकांश सदस्य पेंशनभोगी को किसी देय राहत सहित सदस्य की मासिक पेंशन वित्तीय वर्ष 2014-15 के संबंध में एक हजार रुपये से कम नहीं होगी।"

3. मुख्य योजना के पैराग्राफ 15 में, "पैराग्राफ-12 के उप पैराग्राफ (2) से (5) में यथास्थिति", शब्दों, कोष्ठकों एवं अंकों के लिए "पैराग्राफ 12" शब्द एवं अंक प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. मुख्य योजना के पैराग्राफ 16 में-

(क) उप पैराग्राफ (2) में, खण्ड (क) में, उप खण्ड (iv) के उपरांत, निम्नलिखित उप खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"(v) ऐसे सभी मामलों में जिनमें राहत, यदि हो, सहित मासिक विधवा पेंशन प्रतिमाह एक हजार रुपये से कम हो, उसे वित्तीय वर्ष 2014-15 के संबंध में बढ़ाकर प्रतिमाह एक हजार रुपये कर दिया जाएगा।"

(ख) उप पैराग्राफ (3) में, खण्ड (ख) के लिए, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :

"(ख) प्रत्येक बच्चे के लिए मासिक बाल पेंशन उप पैराग्राफ (2) के खण्ड (क) के अंतर्गत देय मासिक विधवा पेंशन के रूप में दिवंगत सदस्य की विधवा को अनुमत्त राशि के 25 प्रतिशत के बराबर होगी।

परन्तु यह कि दिवंगत सदस्य के प्रत्येक बच्चे के लिए राहत, यदि हो, सहित न्यूनतम मासिक बाल पेंशन वित्तीय वर्ष 2014-15 के संबंध में प्रति माह दो सौ पचास रुपये से कम नहीं होगी।”

(ग) उप पैराग्राफ (4) में, खण्ड (क) के लिए, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

(क) यदि दिवंगत सदस्य कोई उत्तरजीवी विधवा नहीं छोड़ गया हो परन्तु परिवार की परिभाषा में आने वाले उत्तरजीवी बच्चे छोड़ गया हो अथवा पेंशन देय नहीं हो, तो बच्चे उप पैराग्राफ (2) के खण्ड (क) के अंतर्गत मासिक विधवा पेंशन के रूप में देय राशि के 75 प्रतिशत मासिक अनाथ पेंशन के हकदार होंगे :

परन्तु यह कि प्रत्येक अनाथ के लिए राहत, यदि हो, सहित न्यूनतम मासिक अनाथ पेंशन वित्तीय वर्ष 2014-15 के संबंध में प्रतिमाह सात सौ पचास रुपये से कम नहीं होंगे।”

[फा. सं. आर-15025/3/2007-एसएस-II/भाग-II]

अरुण कुमार सिन्हा, अपर सचिव

पाद टिप्पण : कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 को दिनांक 16 नवम्बर, 1995 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 748(अ) द्वारा प्रकाशित किया गया था तथा पिछली बार इसमें दिनांक 14 फरवरी, 2013 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 80(अ) के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th August, 2014.

G.S.R. 593 (E).— In exercise of the powers conferred by section 6A, read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Pension Scheme, 1995, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Pension (Second Amendment) Scheme, 2014.

(2) It shall come into force on the 1st day of September, 2014.

2. In the Employees' Pension Scheme, 1995 (hereinafter referred to as the principal Scheme), in paragraph 12, after sub-paragraph (7), the following sub-paragraph shall be inserted, namely:-

“(7A) The monthly member's pension including any relief payable to any existing or future member under this paragraph shall not be less than one thousand rupees for the financial year 2014-15.”.

3. In the principal Scheme, in paragraph 15, for the words, brackets and figures “sub-paragraphs (2) to (5) of paragraph 12, as the case may be,”, the word and figures “ paragraph 12” shall be substituted.

4. In the principal Scheme, in paragraph 16,-

(a) in sub-paragraph (2), in clause (a), after sub-clause (iv), the following sub-clause shall be inserted, namely:-

“(v) in all the cases, where the monthly widow pension including relief, if any, is less than one thousand rupees per month, the amount of monthly widow pension in such cases shall be enhanced to one thousand rupees per month for the financial year 2014-2015.”;

(b) in sub-paragraph (3), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

“(b) Monthly children pension for each child shall be equal to 25 per cent of the amount admissible to the widow of the deceased member as monthly widow pension payable under clause (a) of sub-paragraph (2):

Provided that the minimum monthly children pension including relief, if any, for each child of the deceased member shall not be less than two hundred and fifty rupees per month for the financial year 2014-2015.”;

(c) in sub-paragraph (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) if the deceased member is not survived by any widow, but is survived by children falling within the definition of family or if the widow pension is not payable, the children shall be entitled to a monthly orphan pension equal to 75 per cent of the amount of the monthly widow pension as payable under clause (a) of sub-paragraph (2):

Provided that the minimum monthly orphan pension including relief, if any, for each orphan shall not be less than seven hundred and fifty rupees per month for the financial year 2014-15."

[F. No. R-15025/3/2007.SS-II/Pt.II]

ARUN KUMAR SINHA, Addl. Secy.

Foot Note.- The Employees' Pension Scheme, 1995 was published in the Gazette of India vide notification number G.S.R. 748(E), dated the 16th November, 1995 and was lastly amended vide notification number G.S.R. 80(E), dated the 14th February, 2013.